



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

एफ.31(20)आउ/आनि/नि.प्रो./2017

दिनांक: 13.06.2017

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
समस्त

विषय:-राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु जिला स्तरीय प्रयासों बाबत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि देश में पिछले 2 वर्षों से घटते निर्यात के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से निर्यात प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। इन प्रयासों को राज्य के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से ही कियान्वित किया जा सकता है। निर्यात प्रोत्साहन हेतु जिलों के महाप्रबंधकों से अग्रांकित गतिविधियां यथा समय पूर्व करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. जिले में उपलब्ध समस्त निर्यात की जाने वाली और निर्यात योग्य सेवाओं एवं वस्तुओं की पहचान एवं उसका दस्तावेजीकरण।
2. जिले में निर्यात प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की पहचान एवं उनका दस्तावेजीकरण।
3. जिले में आवश्यक निर्यात आधारभूत संरचनाओं की पहचान एवं उनके निर्यात निर्माण हेतु ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फोर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना।
4. जिले में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कियान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित करना। इस बाबत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पूर्ण तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते हुए मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
5. जिले के निर्यातकों के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन मेलों, प्रदर्शनियों, बायर-सेलर मीट्स के आयोजन एवं उनमें भाग लेने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना।
6. जिले में निर्यात वृद्धि हेतु जिले के उद्यमियों को आई.ई.सी (Import-Export Code) पंजीयन, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (EPCs)/बोर्डों में पंजीयन



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बारे में जानकारी देना एवं उस जानकारी का विवरण प्रतिमाह मुख्यालय को प्रेषित करना।

7. जिले में निर्यात योग्य उत्पाद एवं सेवा विशेष के निर्यात स्टैंडर्ड्स के लिए सेमीनार आदि आयोजित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना।
8. जिले में निर्यात योग्य सेवा एवं उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु वस्तु एवं सेवा विशेष निर्यात संवर्द्धन परिषदों के द्वारा केम्प/शिविर आदि आयोजित करने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना।
9. जिले में निर्यातकों को वित्त पोषण हेतु भारतीय आयात-निर्यात बैंक (EXIM Bank of India) के माध्यम से वित्तीय सुविधाओं की जानकारी हेतु केम्प आदि आयोजित करने बाबत प्रस्ताव तैयार मुख्यालय को भेजना।
10. जिले में निर्यातकों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए बीमा की जानकारी हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (E.C.G.C) के शिविर, सेमिनार आदि आयोजित करने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना।
11. जिले में आयोजित की जाने वाली औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठकों में निर्यात प्रोत्साहन को एजेण्डा आइटम के रूप में सम्मिलित करना।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं संलग्न प्रपत्र के अनुसार मासिक प्रगति विवरण माह की 7 तारीख तक ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(कुंजी लाल मीणा)
आयुक्त, उद्योग



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठ

मासिक प्रगति विवरण पत्रक
जिले का नाम:-
माह:-

क्र. सं.	निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों का विवरण	प्रगति
1	I.E.C पंजीयन कराने हेतु प्रोत्साहन	
2	जिले की निर्यात योग्य वस्तुओं की पहचान एवं उनका दस्तावेजीकरण	
3	जिले की निर्यात योग्य सेवाओं की पहचान एवं उनका दस्तावेजीकरण	
4	जिले में निर्यात प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन एवं राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी	
5	जिले में निर्यातकों के लिए जीएसटी एवं अनुदानों एवं पुनर्भरण योजनाओं पर सेमीनारों का आयोजन।	
6	जिले में निर्यात प्रोत्साहन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता	
7	जिले में उपलब्ध निर्यात आधारभू संरचना की वर्तमान स्थिति एवं उसमें सुधार आदि के लिए सुझाव, (यातायात, स्टोरेज, पैकिंग, पैकेजिंग आदि)	